5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED
Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

(96)

समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प

जबलपुर म0प्र0

रिवीजन प्रकरण कमांक निगरानी-5911/2018/ जबलपुर/भू.रा.

रिवीजनकर्ता : खडक सिंह उर्फ खडग सिंह गौड उम्र 66 वर्ष पिता माखन सिंह उर्फ मखई सिंह गौड (आदिवासी) रिटायर्ड शिक्षक निवासी – ग्राम हरदुआ तहसील जबेरा जिला दमोह म0प्र0 ।

(704)

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर (राजस्व मंडल)
24 SEP 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

विरूद्ध

उत्तरवादीगण : 1– अपर आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर ।

2– मध्य प्रदेश शासन ।

3– श्रीकांत पाठक पिता श्री जगदीश प्रसाद पाठक पेशा कृषक उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम गांधीगंज पोस्ट सिहोरा तहसील मझौली जिला जबलपुर म0प्र0 ।

OATH COMMISSIONER शपथ आयुक्त Smt. L.D. Patel B.A. LL.B. JABALPUR

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

रिवीजनकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 के अपील प्रकरण कमांक 56 /अपील / 2017–18 में पक्षकार खडक सिंह उर्फ खडग सिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27 / 03/ 2018 एवं न्यायालय कलेक्टर महोदय जबलपुर के रा0प्र0 कमांक 04/अ–21/2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 5.9.2017 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों व आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5911/2018/जबलपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
31/12/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील मिश्रा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 56/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.3.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता श्री सुशील मिश्रा एवं अनावेदक कमांक–3 के अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र त्रिपाठी उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क सुने। 3–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की भूमि मौजा तलवा पटवारी हल्का नम्बर 72 राजस्व निरीक्षक मण्डल पोडा तहसील मझौली जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 76/3, 78/3, 78/4, रकवा कमशः 0.70 है0, 0.45 है0, 0.17 है0, कुल रकवा 0.69 है0 दर्ज है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य होने तथा अनावेदक कमांक–3 सामान्य जाति का होने से आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर के समक्ष भूमि विकय करने हेतु विधिवत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–165 (6) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया था, जिसे निरस्त कर दिया गया, इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के	

न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 0056/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.3.18 को निरस्त कर दी गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4–आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक दमोह जिले का स्थाई निवासी है जहां पर उसकी कृषि भूमि ग्राम हरदुआ सिगौरगढ राजस्व निरीक्षक मण्डल सिंगरामपुर पटवारी हल्का नंबर 67/5 तहसील जवेरा जिला दमोह में खसरा नंबर 51 रकवा 0.89 है0 एवं ग्राम हरदुआ में ही अन्य शामिल सरीक भूम्नि है, जिसमें कुल रकबा 2.98 है0 भूमि है जिसमें आवेदक का 1/5 हिस्सा है जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा उपरोक्त भूमि सिंचित है, इस तरह आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि उसके पास है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा विधि की मंशा के विपरीत आदेश पारित किये गये है। आवेदक रिटार्ड शिक्षक है उसने ग्राम हरदुआ पटवारी हल्का नंबर 67/5 राजस्व निरीक्षक मण्डल सिग्रामपुर तहसील जवेरा जिला दमोह में खसरा नंबर 189/2 रकबा 0.61 है0 सिंचित भूमि अर्जित कर रकबा बढ़ा लिया है। आवेदक ने अनावेदक कमांक–3 से उपरोक्त जबलपुर जिले के ग्राम तलवा में स्थित भूमि को विकय करने के लिये 80,000/– रूपये अग्रिम राशि लिया था तथा उसे जो अपना स्थाई निवास हरदुआ जिला दमोह में उसका मकान बनाने का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, तथा अनुबंध के अनुसार उसने ग्राम में खसरा नंबर 189/2 रकवा 0.

61 है0 अर्जित की है। उसे विक्रय कर अनावेदक कमांक–3 से 7,00000/– रूपये प्राप्त हो जायेंगे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दी गई जो विधि के विरूद्व आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 19.6.2009 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था, और उसका नामांतरण भी करा लिया गया था, आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होने के पश्चात भी विक्रय की अनुमति नहीं दी गई है जो विधि के विरूद्व है। आवेदक की दो जिलों में भूमि होने के कारण उसे आने जाने में भी परेशानी होती है। म0 प्र0 शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप में इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि यदि आवेदक के पास 5 एकड़ सिंचित एवं 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष बचती है तो उसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जमीन विक्रय किये जाने की अनुमति धारा 165 (6) के अंतर्गत दिया जाना आवश्यक है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

5–अनावेदक कमांक–3 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि यदि शासन से विक्रय की अनुमति मिल जाती है तो वह वर्तमान गाईड लाईन से भूमि का मूल्य अदा करने को तैयार है।

6– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि

पश्चात कलेक्टर जबलपुर का प्रकरण कमांक 04/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.9.17 एवं अपर आयुक्त जबलपुर का प्रकरण कमांक 0056/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 27.3.18 निरस्त करते हुये आवेदक को उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा तलवा पटवारी हल्का नम्बर 72 राजस्व निरीक्षक मण्डल पोडा तहसील मझौली जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 76/3, 78/3, 78/4, रकवा कमशः 0.70 है0, 0.45 है0, 0.17 है0, कुल रकवा 0.69 है0 को श्रीकांत पाठक पिता श्री जगदीश प्रसाद पाठक निवासी ग्राम गांधीगंज तहसील मझौली जिला जबलपुर को विकय किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि केता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को निर्देशित किया जता है कि वे सुनिश्चित करें कि केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य